

खास-खबरें

कलेक्टर ने सुनीं 107 आवेदकों की समस्याएं



सीधी। नागरिकों के समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिये शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनसुनवाई आयोजित की जाती है। इस बार आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा जिले के विभिन्न अंचलों से आए 107 आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा उसके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। जनसुनवाई में उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। आज आयोजित जनसुनवाई में समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय जनसुनवाई से जुड़े रहे।

फरार आरोपी पर बीस हजार रूपए का ईनाम घोषित

रीवा। पुलिस उप महानिरीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने फरार आरोपी देवमुनि मांझी पिता मैकु प्रसाद उम्र 60 वर्ष निवासी जेल रोड त्योंथर की दस्तयाबी/गिरफ्तारी पर बीस हजार रूपये के ईनाम की घोषणा की है। इससे पूर्व पुलिस अधीक्षक रीवा द्वारा उक्त फरार आरोपी पर दस हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया था जिसे पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा निरस्त कर दिया गया है। पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा आरोपी की दस्तयाबी, गिरफ्तारी, पतासाजी करने या किसी प्रकार की सहायता करने या सूचना देने पर बीस हजार रूपये की नगद राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जायेगी।

सदस्यता सूची के संबंध में दावे-आपत्ति 15 अप्रैल तक

रीवा। मध्यप्रदेश पुलिस गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित नवीं बटालियन विशेष सशस्त्र बल रीवा के संचालक मण्डल के सदस्यों का चुनाव किया जाना है। इस संबंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने बताया कि संचालक मण्डल के सदस्यों के चुनाव के लिए समिति की सदस्यता सूची 7 अप्रैल को प्रकाशित कर दी गई है। सूची का प्रकाशन उप पंजीयक सहकारी समिति कार्यालय, जनपद पंचायत रीवा कार्यालय जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक कार्यालय तथा समिति के सूचना पटल पर कर दिया गया है। सूची के संबंध में दावे एवं आपत्तियां 15 अप्रैल तक समिति कार्यालय में लिखित में प्रस्तुत की जा सकती हैं। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण 16 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से समिति कार्यालय में किया जाएगा। आपत्तियों के निराकरण के बाद सदस्यता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन किया जाएगा।

अरहर उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल

सीधी। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में 25 मार्च 2025 से अरहर फसल के उपार्जन के लिए किसान पंजीयन किया जा रहा है। पंजीयन की अंतिम तिथि 20अप्रैल 2025 निर्धारित है। अरहर/तुअर की फसल के लिए किसान भाई गेहूँ के समस्त पंजीयन केन्द्रों, कामन सर्विस सेन्टर, किसान मोबाइल एप के माध्यम से पंजीयन करा सकते है। उप संचालक कृषि संजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा सभी किसान भाइयों से समय पर फसल पंजीयन करने और शासन की योजना का लाभ प्राप्त करने की अपील की गई है।

स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट का लायसेंस निलंबित व्यवसाय पर लगाई गई रोक

रीवा। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा पोर्टल पर प्राप्त शिकायत पर न्यू बस स्टैंड स्थित स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट का लायसेंस जांच के उपरांत निलंबित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता द्वारा पोर्टल में शिकायत की गयी थी कि रेस्टोरेंट से पार्सल के माध्यम से कढ़ाई पनीर व रोटी का ऑर्डर दिया गया था। जब सप्लाई प्राप्त हुई तो पार्सल खोलने पर कढ़ाई पनीर में कॉकरोच पाया गया। शिकायत की जाँच खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा की गई। जाँच के दौरान स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट के किचन में गंदगी पाई गई नालियां किचन में खुली हुई थी तथा किचन में ही जूटे बर्तनों को साफ़ कर उसका वेस्ट वही रखा गया था साथ ही मॉजिल की खिड़की खुली हुई थी जिनमें किसी प्रकार की नेट नहीं लगी हुई थी। पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेशन एवं फूड हैंडलर्स के फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं पाए गए। किचन में अत्यधिक गंदगी होने एवं शिकायत के संदर्भ में स्वाद फैमली रेस्टोरेंट का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर खाद्य व्यवसाय पर पूर्ण रोक लगा दी गई है।

उप मुख्यमंत्री ने की रीवा शहर में जल आपूर्ति, सीवरेज कार्यों की समीक्षा

लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करे, इसके लिए ठोस कार्ययोजना बनाएं

रीवा

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि रीवा शहर तेज गति से प्रगति कर रहा है और विस्तारित हो रहा है। रीवा शहर में **म्युनिसिपल वेस्ट का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जाना अत्यंत आवश्यक** है।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भविष्य में रीवा शहर जीरो अनट्रीटेड वेस्ट के लक्ष्य को प्राप्त करे, इसके लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन प्रारंभ करें। उन्होंने निर्देश दिए कि जयंती कुंज में स्थापित 12 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का संचालन शीघ्र प्रारंभ करने की दिशा में सभी आवश्यक कदम तत्काल उठाए जाएं। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय, भोपाल में रीवा नगरीय क्षेत्र में संचालित सीवरेज, पेयजल आपूर्ति और अन्य विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत रीवा



नगर निगम क्षेत्र में संचालित पेयजल आपूर्ति योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि नगरीय निकाय रीवा को आवश्यक तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग तत्काल उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हों और उनकी गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने रीवा क्षेत्र में पुनर्धत्वीकरण कार्यों की भी

समीक्षा की तथा अधिकारियों से अद्यतन जानकारी प्राप्त कर आवश्यक मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि रीवा नगर को आधुनिक नगरीय सुविधाओं से युक्त स्मार्ट नगर के रूप में विकसित करने की दिशा में सभी विभाग समन्वयित प्रयास करें। अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय कुमार शुक्ला, आयुक्त नगरीय प्रशासन श्री सिबी चक्रवर्ती, नगर निगम रीवा के आयुक्त श्री सौरभ सोनवड़े सहित नगरीय विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।



जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किया जा रहा है खेत तालाब का निर्माण

अनुपपुर। कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली के निर्देशन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री तन्मय वशिष्ठ शर्मा के मार्गदर्शन में जल गंगा संर्वधन अभियान के तहत जल संरक्षण और संवर्धन के लिए जल स्त्रोतों, नदियों की साफ-सफाई निरन्तर की जा रही है। इसके अलावा जिले के अमृत सरोवरों का जीर्णोद्धार तथा खेत तालाबों का निर्माण कार्य आम जन की

सहभागिता से किया जा रहा है। इसी अनुक्रम में जिले के ग्राम औंदेरा, दुधमनिया, पसला तथा खोलाड़ी में खेत तालाब का निर्माण कार्य तथा जिले के ग्राम पंचायत पिपरिया के ग्राम बेला में अमृत सरोवर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिससे वर्षा ऋतु में जल का ज्यादा से ज्यादा संग्रहण हो सके तथा भौम जल स्तर में वृद्धि हो एवं जल की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित हो।

जनसुनवाई : अपर कलेक्टर ने 90 आवेदन पत्रों में की सुनवाई

रीवा

कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आमजनता के आवेदनों पर सुनवाई के लिए सामाहिक जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी ने आमजनता के आवेदन पत्रों में सुनवाई करते हुए कहा कि सभी अधिकारी संवेदनशीलता के साथ जनसुनवाई के आवेदनों का निराकरण करें।

आवेदनों में समुचित कार्यवाही करके सात दिवस में इनका निराकरण करें। आवेदन में की गई कार्यवाही की आवेदक को भी सूचना दें। जनसुनवाई के आवेदनों का प्रतिवेदन ऑनलाइन दर्ज करें। जनसुनवाई में आमजनता से प्राप्त 90 आवेदन पत्रों पर सुनवाई की गई। संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय, तहसीलदार मनोज शुक्ला तथा एसएलआर सहित सभी संबंधित



अधिकारी जनसुनवाई में उपस्थित रहे। जनसुनवाई में दिलीप सिंह बघेल निवासी रीवा ने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने एसडीएम हुजूर को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिए। फूलकली मिश्रा निवासी बरा आवेदन पत्रों के बिल में सुधार तथा मीटर बदलने के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने अधीक्षण यंत्री विद्युत मण्डल को आवेदन में

तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। नीता बंसल निवासी मंगवां ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने जिला आपूर्ति अधिकारी को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिए। रमेश साकेत निवासी मड़वा ने बहुती नहर निर्माण के लिए अधिग्रहीत जमीन के मुआवजे के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने एसडीएम हुजूर को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश

स्पेशल खबर राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा का शुभारंभ, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जागरूक करें

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आशा कार्यकर्ता समन्वय से कार्य करें : कलेक्टर

रीवा

सातवें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के शुभारंभ अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल ने कहा कि गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिये घर के मुखिया को जागरूक करें ताकि उसकी सही ढंग से खान-पान व देखभाल हो सके।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करें तथा उन्हें सही खानपान की समझाइश दें जिससे वह स्वयं एवं उनका होने वाला बच्चा भी स्वास्थ्य रहे।

कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित शुभारंभ सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम में कलेक्टर

श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आशा कार्यकर्ता समन्वय के साथ कार्य करें। अपने एवं अपने परिवार के पोषण की देखभाल के लिये आंगनवाड़ी केन्द्रों की सेवाएँ सही ढंग से दी जायं। प्रथम 1000 दिवसों में गर्भवस्था से लेकर शिशु के प्रथम 2 वर्ष के स्वास्थ्य तथा गर्भवती महिला का शत-प्रतिशत पंजीयन कराते हुए टीकाकरण, जांच आदि कार्य समय सीमा में किये जायं। उन्होंने कहा कि पोषण पखवाड़ा में किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा मुख्य उद्देश्य है। पोषण ट्रेकर में सही जानकारी नियत समय में भरी जाय तथा कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने



एवं मोटापे से बचाव हेतु स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के प्रति जागरूक करें। उन्होंने बच्चों के प्रबंधन के प्रति समुदायों को संवेदनशील बनाने के लिये जागरूक किये जाने पर बल दिया।

सीधी : पुस्तक मेला 11 एवं 12 अप्रैल को

सीधी। नवीन शैक्षणिक सत्र शुरू होने से सभी शासकीय एवं निजी विद्यालयों में नवीन सत्र के लिये पठन-पाठन प्रारम्भ हो गया है। निजी विद्यालयों के लिये स्कूल शिक्षा विभाग का म.प्र. निजी विद्यालय अधिनियम 2017 एवं म.प्र. निजी विद्यालय नियम 2020 प्रभावशील है जिसमें प्रावधान है कि निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र या अभिभावकों को पुस्तकें, यूनीफार्म, टाई, जूते, कॉपी आदि केवल चयनित विक्रेताओं से क्रय करने के लिये औपचारिक अथवा अनौपचारिक, किसी भी रूप में बाध्य नहीं किया जायेगा। छात्र या अभिभावक इन सामग्रियों को खुले बाजार से क्रय करने के लिये स्वतन्त्र होंगे।

प्रावधानों का सम्यक रूप से पालन करने हेतु पुस्तक मेले का आयोजन सहायक हो सकता है। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देशानुसार जिला स्तरीय दो दिवसीय पुस्तक मेला का आयोजन दिनांक 11 एवं 12 अप्रैल को शा. उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक-1 सीधी में सायं 3 बजे से आयोजित है जिसमें पुस्तकें, स्टेशनरी, यूनीफार्म, आदि के स्टाल स्थानीय प्रकाशकों एवं विक्रेताओं द्वारा लगाये जायेंगे।



कलेक्टर पटले ने किया गेहूं उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण

नरसिंहपुर

कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने नरसिंहपुर तहसील के अंतर्गत चौकसे वेयर हाउस सेवा सहकारी संस्था सिंहपुर और मंडी नरसिंहपुर के वृहत्ता सेवा सहकारी संस्था गेहूँ उपार्जन केन्द्र का निरीक्षण मंगलवार को किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने उर्पाजन की व्यवस्थायें देखी और आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने यहां पंजीकृत किसानों की संख्या, उनके द्वारा की गई स्लॉट बुकिंग, रेडी टू ट्रांसपोर्ट, परिवहन, स्वीकृति पत्रक और भुगतान वितरण की जानकारी ली। कलेक्टर ने गुणवत्ता नियंत्रक को निर्देश देते हुए कहा कि वे शासन द्वारा निर्धारित

मापदंड के अनुसार ही एफएक्यू गुणवत्तायुक्त गेहूँ का ही उर्पाजन किया जाये। खरीदी केन्द्रों में स्लॉट बुकिंग के अनुसार ही खरीदी की जाये।

उन्होंने मौके पर गेहूँ का सैंपल भी देखा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि तुलाई के बाद बिलिंग हो जाये, ताकि किसानों को भुगतान की प्रक्रिया की जा सके। कलेक्टर श्रीमती पटले ने किसानों के लिए उर्पाजन केन्द्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थायें, किसानों को बैठने, पेयजल, छाया, पंखा आदि सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इस दौरान उन्होंने कहा कि विक्रय के लिए उपज लेकर आने वाले किसानों को किसी प्रकार की तरह कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये।

कलेक्टर ने जिले के दूर-दराज क्षेत्रों से आए लोगों की सुनीं समस्याएं

शहडोल

कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने आज कलेक्टर कार्यालय के सोन सभागार में आयोजित सामाहिक जनसुनवाई में शहडोल जिले के दूर-दराज क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं व शिकायतें सुनी तथा निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

जनसुनवाई में शहडोल जिले के जनपद पंचायत गोहपारू ग्राम जमुनिया निवासी श्री रामकृपाल कुशवाहा ने जनसुनवाई में कलेक्टर को बताया कि जंगली जानवरों द्वारा गेहूँ मटर मेथी की फसल को पूर्ण रूप से नुकसान कर दिया गया है। उनका कहना था कि नुकसान हुई फसल का मुआवजा दिलाया जाए। जिस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी की ओर आवेदन प्रेषित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में जयसिंहनगर के ग्राम कुदरी निवासी ममता यादव ने आवेदन देकर बताया कि



बुद्धसेन यादव शासकीय सेवारत पशु चिकित्सालय द्वारा में संरक्षक के पद पर उपकेन्द्र द्वारा मुख्य ग्राम खंड जयसिंहनगर जिला शहडोल म.प्र. में शासकीय सेवा काल के दौरान अचानक दिनांक 19.09.2009 को मृत्यु हो चुकी है तथा आज दिनांक तक मेरे मृतक पति के बाद भी अनुकम्पा नियुक्त नहीं दिया गया और न ही कोई कार्यवाही की गई। उनका कहना था कि मेरे पति के स्थान पर मेरे पुत्र अर्जुन यादव को अनुकंपा नियुक्ति दिलाई जाए।

रोजगार मेला 15 अप्रैल को आईटीआई कालेज पचौर में

सिंगरौली

जिला रोजगार अधिकारी श्रीमती सीमा बर्मा ने बताया कि जिले के बेरोजगार युवक,युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से म.प्र. शासन के निर्देशानुसार युवा संगम रोजगार स्व-रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का जिला प्रशासन, रोजगार कार्यालय, सुक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग एव आई.टी.आई. सिंगरौली के द्वारा संयुक्त रूप से 15 अप्रैल को सुबह 11.00 बजे से आई. टी. आई,कालेज पचौर, बैढन, सिंगरौली में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि युवक,युवतिया मेले में भाग लेने वाली कम्पनियो रिलायंस पावर सासन लि., प्रतिभा सिंटेक्स

प्र.लि. पीथमपुर,हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि. बरगवां, यशश्री रूफ,रिलायंस कोल माइंस लि. अमलोरी, आर्या वेंचर प्रा.लि. त्रिमुला इंडस्ट्रीज प्रा. लि. सिंगरौली सहित अन्य कम्पनियो में अपने योग्यता अनुसार आवेदन कर रोजगार का अवसर प्राप्त कर सकते है। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में 5वीं से 12वीं, आई.टी.आई., डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, बी. टेक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पास अभ्यर्थी संबंधित कम्पनियों में आवेदन कर सकते है। अभ्यर्थी बायोडाटा 2 प्रति शैक्षणिक योग्यता प्राप्त प्रमाण पत्र व फोटोकॉपी 3 प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो, 2 प्रति आधार कार्ड एवं रोजगार पंजीयन के साथ अपना आवेदन कर सकते है।

किट प्रदान की गई। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों से अपेक्षा की कि इनके परिजनों को बच्चों के खान पान के विषय में समय-समय पर जानकारी दें। इस अवसर पर पोषण शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य गुलबसिया जी सहित विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख उपस्थित रहे। संचालन आशीष द्विवेदी सहायक संचालक ने किया तथा आभार प्रदर्शन जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय द्वारा किया गया। इस दौरान जिवेन्द्र सिंह, डॉ. गेष नारायण मिश्रा सहित महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।